न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 25/2019

मौहम्मदा पुत्र खुशी खां जाति मेव निवासी ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी

सायल

बनाम

1. उमर दीन
2. ईशाक पुत्रगण मग्धू जाति मेव निवासी ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी
3. तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील सायल
श्री सतीश शर्मा वकील गैरसायलान 1 ,2

दिनांक :– 05.12.2019

निर्णय

सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 876/0.12, 900/0.15, 1031/0.49, 1156/0.71, है0 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 4 व सायल के हक समान है। प्रतिवादी संख्या 4 वक्त दावा दायरी उपस्थित नहीं होने के कारण उसे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। खुशी खां के पास विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी भी थी। जिसको खुशी खां वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। खुशी खां के तीने लडके जिसमें बडा पुत्र मग्धू था जिसके वारिसान गैरसायलान 1 व 2 है व खुशी खां के दो पुत्र एक सायल व दूसरा तरतीवी प्रतिवादी नं0 4 था। पिता गैरसायलान 1 व 2 चालाक प्रवृति का व्यक्ति था। जिसने विवादित आराजी गैरकानूनी तरीके से अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा लिया जबकि विवादित आराजी खुशी खां की थी। जिसमें खुशी खां के सभी वारिसान का हिस्सा था। विवादित आराजी के साथ अन्य आराजी भी खुशी खां के नाम दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन पिता गैरसायलान ने गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम करा दिया और जो शेष आराजी बची उसका विरासतन इन्तकाल नम्बर 1172 से खुशी खां के वजाह पिता गैरसायलान मग्धू सायल मौहम्मदा , व तरतीवी प्रतिवादीगण जस्सू के नाम दर्ज हो गई जबकि सायल व तरतीवी प्रतिवादी का 1/3,1/3 हिस्सा था। लेकिन गैरसायलान ने उक्त आराजी को अपने नाम गलत तरीके से करा लिया। गैरसायलान ने विवादित आराजी को अपने नाम गलत तरीके से राजस्व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी उप जिला कलेक्टर

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में अपने नाम करा लिया जो गलत दर्ज है। जिसके आधार पर सायल व तरतीवी प्रतिवादी सायल के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा करते है। अतः गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावें कि वे कब्जे काश्त सायल में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायलान मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब पेश किया कि आराजी मुत0 खुशी खां के मरने से पूर्व ही हम गैरसायलान के पिता मग्धू के नाम दर्ज हो गई थी और उस खातेदारी के इन्द्राज को सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण ने किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है। खुशी खां के मरने के समय आराजी खुशी खां के नाम नहीं थी। इसलिए सायल व तरतीवी प्रतिवादी को विरासत के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। आराजी मुत0 पर कब्जा ना कभी खुशी खां का रहा और ना ही सायल व तरतीवी प्रतिवादी का रहा है। बल्कि आराजी पर पहले हम गैरसायलान के पिता का कब्जा था और उसके मरने के बाद हम गैरसायलान का कब्जा चला आ रहा है। और आज भी हम गैरसायलान आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें ।

वकील सायल ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 876/0.12, 900/0.15, 1031/0.49, 1156/0.71, है0 बांके ग्राम सांवलेर तहसील पहाडी में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 4 व सायल के हक समान है। प्रतिवादी संख्या 4 वक्त दावा दायरी उपस्थित नहीं होने के कारण उसे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। खुशी खां के पास विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजी भी थी। जिसको खुशी खां वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज था। खुशी खां के तीने लडके जिसमें बडा पुत्र मग्धू था जिसके वारिसान गैरसायलान 1 व 2 है व खुशी खां के दो पुत्र एक सायल व दूसरा तरतीवी प्रतिवादी नं0 4 था। पिता गैरसायलान 1 व 2 चालाक प्रवृति का व्यक्ति था। जिसने विवादित आराजी गैरकानूनी तरीके से अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा लिया जबकि विवादित आराजी खुशी खां की थी। जिसमें खुशी खां के सभी वारिसान का हिस्सा था। विवादित आराजी के साथ अन्य आराजी भी खुशी खां के नाम दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन पिता गैरसायलान ने गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम करा दिया और जो शेष आराजी बची उसका विरासतन इन्तकाल नम्बर 1172 से खुशी खां के वजाह पिता गैरसायलान मग्धू सायल मौहम्मदा , व तरतीवी प्रतिवादीगण जस्सू के नाम दर्ज हो गई जबकि सायल व तरतीवी प्रतिवादी का 1/3,1/3 हिस्सा था। लेकिन गैरसायलान ने उक्त आराजी को अपने नाम गलत तरीके से करा लिया। गैरसायलान ने विवादित आराजी को अपने नाम गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करा लिया जो गलत दर्ज है। जिसके

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

आधार पर सायल व तरतीवी प्रतिवादी सायल के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी पैदा करते है। अतः गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावें कि वे कब्जे काश्त सायल में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी पर सायल के पिता खुशी खां का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना ही कभी विवादित आराजी पर खातेदार रहा है। आराजी पर गैरसायलान 1 व 2 के पिता मग्धू का कब्जा व काश्त है। जो सिकमी काश्त आधार पर सम्वत् 2028 में खातेदारी अधिकार इन्तकाल नम्बर 9 10 से मिला है। खसरा नम्बर 876,1031, कभी भी खुशी खां के नाम नहीं रही जो पूर्व में किसी और के नाम सम्वत 2009 से 2012 तक की जमाबन्दी इन्द्राज में मुग्धू पट्टेदार दर्ज है। अन्य विवादित नम्बरान जिसमें सम्वत 2013 से 2016 तक की जमाबन्दी इन्द्राज में खुशी खां गैर काबिज दर्शाया है। गैरसायलान संख्या 1 व 2 के पिता मग्धू का सिकमी काश्त के आधार पर खातेदारी मिली थी। जो मग्धू के मरने के बाद गैरसायलान संख्या 1 व 2 के नाम हुई। सायल एवं तरतीवी प्रतिवादी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । बल्कि आज भी मौके पर विवादित आराजी पर गैरसायलान का कब्जा व काश्त है। प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी गैरसायलान संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी पर सायल एवं तरतीवी प्रतिवादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिजी के है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.03.2019 को वैकिट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

प्रमाणित छायाप्रति
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned by CamScanner